

24

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल (म.प्र.) ग्वालियर, (म.प्र.)

(सर्किट कोर्ट) कैम्प-रीवा



10.401

296  
5-8-15

1. बिन्दु पत्नी हरवंश प्रसाद, उम्र-36 वर्ष,
  2. रामावतार पिता स्व. देवराज, उम्र-81 वर्ष,
  3. गंगा प्रसाद पिता स्व. रामकृपाल, उम्र-71 वर्ष
- तीनों निवासी करही पवाई, तहसील-रघुराजनगर, जिला सतना, (म.प्र.) .....निगराकारगण

बनाम

1. नर्वदा प्रसाद पिता स्व. रामकृपाल, उम्र-61 वर्ष,
  2. गोमती प्रसाद पिता स्व. रामकृपाल, उम्र-59 वर्ष,
- दोनों निवासी करही पवाई, तहसील रघुराज नगर, जिला-सतना (म.प्र.) .....गैर निगराकारगण

श्री. राजेंद्र शर्मा  
द्वारा आज दिनांक 05-8-15 के  
प्रस्तुत किया गया।  
सिडर  
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रघुराजनगर, जिला-सतना, (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक-52/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 13.07.15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.

संहिता - 1959.

मान्यवर,

निगराकारगण निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर सादर

विनय करते हैं कि :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय

✓

बिन्दु रिवासी

Conti.....2  
गंगा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-374/01/15..... जिला एतना.....

स्थान तथा दिनांक	बिन्दु / नाम / प्रसाद कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.8.15	<p>आवेदक की ओर से श्री राजेन्द्र शर्मा अभिमात्रक उपस्थित। उन्हें शीघ्र सुनवाई के आवेदन सहित निगामी की गृह्यता पर सुना गया।</p> <p>आवेदक अभिमात्रक द्वारा मुख्य रूप से यह बतया कि प्रकल में अधीनस्थ न्यायालय तस्वीलवा एग ग्राम करदी पवाई की नामांतरण पंजीक 33 अदेश दिनांक 21-10-03 से हुए नामांतरण को निरस्त कएजे जौने हेतु अनु-अधीक के माया में अपील प्रस्तुत की गई थी जिससे अनु-अधीक से प्रस्तुत की गई थी जबकि उन्हें नामांतरण आदेश को पूर्व से ही जानकारी थी मात्र पेशान करने की नियत से अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसमें अनु-अधीक अधिकारी एग अपिल आदेश दिनांक 13-7-15 से बिलम्ब कामा का आवेदन स्वीकार कर प्रकल गुणगौरव के आधा पर निकाल करे हेतु अंतिम तक के लिये नियत किया गया जो गैर कारनी है क्योंकि आवेदक एग अपील प्रस्तुत करे में हुए बिलम्ब की प्रत्येक दिन का जानकारी + देकर कोई ठोस कारण नही बतया गया। ऐसी स्थिति में निगामी सुनवाई हेतु गृह्य करे का निवेदन किया गया। इसके अतिरिक्त जहाँ तक दिये जो निगामी भेजे अ अंकित है।</p> <p>तर्कों के पारेपेक्ष में निगामी भेजे में अंकित बिन्दुओं तथा अनु-अधीक के एग जारी आदेश दिनांक 13-7-15 का अवलोकन किया गया। अनु-अधीक एग अपिल आदेश से अन्वय विधान धाए 5 के आवेदन को स्वीकार</p>	

M

2874/15 सदन

54

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं स.सभासकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>कार्यवाही को गुण दोष के आधार पर निष्कर्षण कार्य के लिये अंतिम तक हेतु नियत किया गया है अनु. अधिकारी का आदेश दिनांक 13-7-15 अंतरिम आदेश है अंतिम आदेश नहीं है इसी स्थिति में अनु. अधिकारी द्वारा जारी आदेश दिनांक 13-7-2015 से किसी भी पक्ष के <sup>अनुचित रूप से</sup> <del>हित</del> <sup>हानि करमान में</sup> प्रभावित होने की सम्भावना नहीं है। क्योंकि अनु. अधिकारी द्वारा प्रकटा में उभय पक्ष के अंतिम तक सुनकर प्रकटा गुण दोष के आधार पर निष्कर्षण कार्य हेतु नियत किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में अनुविभागीय इस प्रकटा क्रमांक 52/अफिस/14-15 में पारित आदेश दिनांक 13-7-15 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रकटा इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी उभयपक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर संसद में निहित प्रावधानों के प्रकाश में नीतिगत आदेश पारित करे एवं आयपस अपना पक्ष अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष रखें वस उन्हे अवसर प्राप्त है। इस निर्देश के साथ प्रकटा इसी त्तर पर समाप्त किया जाता है।</p>	<p>जा सकता,</p> <p>सदस्य</p>

28/8/15